

## वाणिज्य कर अपील अधिकरण, उत्तराखण्ड, खण्डपीठ—देहरादून

उपस्थित : मलिक मजहर सुलतान, एच०जे०एस०.....अध्यक्ष,  
विपिन चन्द्र .....सदस्य,

द्वितीय अपील संख्या: 23/2025 (वर्ष 2013-14, धारा 25(7)/रिमांड वाद )

कमिश्नर राज्य कर, उत्तराखण्ड।

बनाम

सर्वश्री भाग्यश्री स्टील एंड एलॉएज प्रा०लि० कोटद्वार।

अपीलार्थी की ओर से: श्री भुवन चन्द्र पाण्डे.....राज्य-प्रतिनिधि।

प्रत्यर्थी की ओर से : श्री रूचिन सिंघल ..... अधिवक्ता।

—: निर्णय :—

विपिन चन्द्र, सदस्य,

यह द्वितीय अपील उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 53 के अन्तर्गत आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड (जिसे आगे "विभाग" कहा जायेगा) द्वारा संयुक्त आयुक्त (अपील) राज्य कर, उत्तराखण्ड देहरादून (जिसे आगे "प्रथम अपीलीय प्राधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा प्रथम अपील संख्या 666/2023 (वर्ष 2013-14, धारा-25(7)/रिमांड वाद ) में पारित किये गये निर्णय दिनांक 17-01-2025 के विरुद्ध इस अधिकरण में दिनांक 02-05-2025 को दायर की गयी है। प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा सर्वश्री भाग्यश्री स्टील एंड एलॉएज प्रा०लि० कोटद्वार (जिसे आगे "व्यापारी" कहा जाएगा) की उक्त वर्ष हेतु दायर अपील स्वीकार करते हुए व्यापारी द्वारा घोषित खरीद-बिक्री को मान्यता प्रदान की गयी है। इस प्रकार कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर निर्धारण आदेश दिनांक 02/07/2019 से आरोपित कर रु० 68,15,839.00 के स्थान पर प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा इंगट, रनर राइजर की व्यापारी द्वारा कुल घोषित बिक्री रु० 10,63,51,228.00 को मान्यता प्रदान करते हुए उक्त पर रु० 21,68,983.00 कर निर्धारित किया गया है। इस प्रकार प्रश्नगत द्वितीय अपील में विभाग द्वारा रु० 46,46,856.00 की राशि को विवादित किया गया है।

2. वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि व्यापारी विभाग में एम०एस इंगट व रनर राइजर के निर्माण एवं बिक्री हेतु पंजीकृत है। व्यापारी द्वारा संगत वर्ष में स्वनिर्मित एम०एस इंगट व रनर राइजर की फार्म 11 से आच्छादित बिक्री रु० 10,49,52,597.00 घोषित की गयी थी, जिस पर 2 प्रतिशत की दर से रु० 20,99,052.00 तथा उक्त की पूर्ण दर से रु० 13,98,631.00 की बिक्री घोषित की गयी है, जिस पर 5 प्रतिशत की दर से रु० 69,932.00 की कर देयता मानी गयी है। इस प्रकार संगत वर्ष हेतु प्रांतीय वाद में व्यापारी द्वारा कुल

रु0 10,63,51,228.00 की बिक्री मानते हुए उक्त पर कुल रु0 21,68,983.00 की कर देयता मानी गयी है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2015-16 के दौरान दिनांक 20/10/2015 को व्यापारी के व्यापार स्थल का सर्वेक्षण विशेष अनुसंधान शाखा/एसटीएफ इकाई हरिद्वार द्वारा किया गया था। उक्त सर्वेक्षण में व्यापार स्थल से कुल 16 संकेतों में अभिलेख अभिग्रहित किये गये थे, जिसमें वर्ष 2013-14 से संबंधित अभिलेख कर निर्धारण आदेश में निम्न प्रकार अंकित किये गये हैं-

अभिलेख संख्या	विवरण
1 ए	सेल रजिस्टर (2013-14)
2 बी	खरीद रजिस्टर (2013-14)
3 बी	कन्ज्यूमेबिल स्टोर रजिस्टर (2013-14)
4 ए	एम0एस0 स्क्रेप कच्चे माल का रजिस्टर (2013-14)
4 बी	एम0एस0 स्क्रेप कच्चे माल का रजिस्टर (2013-14)
5 ए	दैनिक स्टॉक रजिस्टर (2013-14)
5 बी	आर0जी0 2 रजिस्टर (2013-14)
7 सी	विद्युत बिल (2013-14, 2014-15)
10 बी	बैंक स्टेटमेंट (2013-14)
15 ए	आयातित खरीद रजिस्टर दिनांक 01.07.13 से 16.02.2014 )
15 बी	सर्विस टैक्स रजिस्टर (2013-14)

उक्त संकेतों से प्रकाशित तथ्यों के आलोक में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा निम्न बिन्दुओं पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया-

"1. आप द्वारा संगत वर्ष में सर्वश्री जयबालाजी ट्रेडर्स टिन 05007923567 से खरीद किया जाना घोषित किया गया है, जो कि जांच के उपरान्त जांच प्रथम दृष्टया Circular trading में संलिप्त होना परिलक्षित होता है, अतः उक्त फर्म से किये गये क्रयों के सन्दर्भ में खरीद बिलों, प्रान्त माल के परिवहन संबंधी बिल्टी की मूल प्रति, खरीद गये माल के विरुद्ध भुगतान का माध्यम एवं बैंक खाते से भुगतान किये जाने की दशा में भुगतान ब्यौरों व तत्संबंधी खातों का विवरण उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है।

2. आपके संगत वर्ष हेतु रखे गये व्यापारिक अभिलेख आज0जी0-1 की कतिपय निम्न तालिकानुसार वर्णित तिथियों में विद्युत इकाईयों के उपभोग किये जाने के उपरान्त भी शून्य उत्पादन घोषित किया गया है। यहां यह उल्लेखनीय है कि विद्युत वितरण खण्ड कोटद्वार से प्राप्त किये गये लोड सर्वे रिपोर्ट की गयी विद्युत इकाईयों के समतुल्य ही विद्युत इकाई का उपभोग किया गया है, जो कि व्यवहारिक नहीं है-

Date	Electricity consumed Kw	Raw Material Sponge Iron in Mt	Raw Material ms crap in Mt	Ingot manufactured in Mt	Runner Riser Manufacture d in Mt	Slag Manufactu red Mt.
12 July 13	1206.50	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
13 July 13	140.20	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
14 July 13	739.60	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
6 Aug13	366.10	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
15 Aug 13	368.20	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
28 Aug 13	1768.20	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
17 Sep 13	979.90	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2 Oct 13	822.90	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
13 Oct 13	1287.80	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2 Nov 13	1111.50	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3 Nov 13	1140.60	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
17 Nov 13	1338.10	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
23 Dec 13	1230.20	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
26 Jan 14	1389.80	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
17 Mar 14	565.30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

3. आप द्वारा निर्मित किये गये उत्पाद से संबंधित अभिलेख आर0जी0-1 में अंकित प्रविष्टियों को कई स्थानों पर Correction Fluid का प्रयोग कर परिवर्तित किया गया है, जो कि लेखापुस्तकों के उक्त प्रकार से प्रविष्टियों में किये गये संशोधनों की संख्या विभिन्न स्थानों के अतिरिक्त माह नवम्बर 2013, दिसम्बर 2013, एवं माह फरवरी 2014 में अत्यधिक है। प्रविष्टियों में किये गये परिवर्तन संबंधी एक उदाहरण की स्थिति निम्न है:-

दिनांक 17/11/2013 को निर्मित एम0एस0इंगट की मात्रा आज0जी0-1 रजिस्टर के अनुसार पूर्व में 22.995 टन अंकित किया जाना प्रतीत होता है, तदपरान्त उक्त प्रविष्ट पर Correction Fluid का प्रयोग कर No Production परिवर्तित कर दिया गया है, जबकि विद्युत वितरण से प्राप्त सूचना के अनुसार आप 1338.10 इकाई विद्युत ऊर्जा का उपभोग उक्त तिथि को ही किया जाना स्पष्ट है। यहां यह उल्लेखनीय है कि आज0जी0 1 की उक्त प्रविष्टि के साथ-साथ दिनांक 17/11/2013 को एम0एस0इंगट का आरम्भिक स्टॉक (स्तम्भ 1) 132.750 टन तथा आरम्भिक एवं निर्मित स्टॉक का योग (स्तम्भ 2) 155.745 टन अंकित किया गया है, इस प्रकार समुचित मात्रा में विद्युत उपभोग होने उत्पादन के अन्तर्गत No Production की स्थिति में भी कुल स्टॉक की वृद्धि पंजिका में अंकित प्रविष्टियों की तार्किकता एवं प्रमाणिकता को परिभाषित नहीं करती है, जिस संदर्भ में स्पटीकरण प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। यही समान

स्थिति उक्त तिथि को Slag एवं Runner Riser उत्पादन के विषय में भी स्पष्ट है।

4. आप द्वारा संगत वर्ष में किये गये विद्युत इकाईयों के उपभोग विषयक विद्युत वितरण खण्ड कोटद्वार से प्राप्त विवरणों को एक अंश निम्न तालिका के कॉलम 1 व 2 के अनुसार प्रदर्शित है:-

Date	Electricity consumed Kw	Ingot manufactured in Mt	Runner Riser Manufactured in Mt	Slag Manufactured Mt.	Electricity consumed per unit production
18 May 13	1270.40	9.540	0.120	1.315	115.75
19 May 13	1353.00	6.530	0.080	0.895	180.28
20 May 13	1329.60	9.795	0.125	1.345	118.03
21 May 13	1051.00	6.755	0.085	0.930	135.26
22 May 13	1370.90	6.980	0.085	0.960	170.83
23 May 13	1413.20	6.755	0.085	0.930	181.88
24 May 13	946.60	29.925	0.370	4.085	27.53
25 May 13	1199.90	21.615	0.270	2.970	48.28
26 May 13	919.90	22.295	0.280	3.065	35.88
27 May 13	1201.80	23.645	0.295	3.250	44.20
28 May 13	80.80	24.435	0.305	3.360	2.88

उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि आप द्वारा विभिन्न तिथियों में किये गये प्रति टन निर्माण के विरुद्ध उपभुक्त विद्युत इकाईयों की मात्रा में अत्यधिक भिन्नता है जो कि एक ही प्रकार की प्लान्ट एण्ड मशीनरी एवं एक ही प्रकार के कच्चे माल के संघटन से निर्मित उत्पाद के निर्माण विषयक मूलभूत सिद्धान्तों के प्रतिकूल है तथा सम्भव प्रतीत नहीं होता है। इससे यह भी प्रतीत होता है कि आपके द्वारा अपनी सुविधानुसार ही निर्माण/बिक्री घोषित की जा रही है।

5. दाखिल केन्द्रीय बिक्री से सम्बन्धित सूची में क्रेता व्यापारियों का टिन एवं तत्सम्बन्धी आवश्यक अन्य विवरण अंकित नहीं किये गये है। उक्त केन्द्रीय बिक्री से सम्बन्धित सूची के अन्तर्गत क्रेता व्यापारी का टिन, प्रत्येक सम्बन्धित विवरण के विरुद्ध बिक्री किये गये माल का उल्लेख एवं वाहन संख्या सम्बन्धी विवरण को अंकित कर प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।
6. आपके द्वारा दाखिल बैलेंसशीट में ग्रास प्रोफिट रू0 153710-46 प्रदर्शित किया गया है, जो कि आपके कार्य की प्रकृति को देखते हुए काफी कम है।
7. इसके अतिरिक्त अभिग्रहीत अभिलेखों की सूची से स्पष्ट है कि आपके द्वारा की गई खरीद/बिक्री से सम्बन्धित बिल बीजक, केशबुक, गेटपास पंजीका, श्रमिक उपस्थिति रजिस्टर, हीट रजिस्टर, लेजर, आई०टी०सी० क्लेम विषयक खरीद बिल, फार्म-16 की द्वितीय प्रति अभिग्रहीत नहीं किये गये है, उक्त अभिलेख की प्रस्तुति अपेक्षित है एवं पत्रावली एवं वि०अनु०शा० द्वारा अभिग्रहीत अभिलेख की

जाँच पर पाया गया कि आपके द्वारा बिक्री बिल संख्या-104, 108 एवं 121 से कोई बिक्री घोषित नहीं की गई है, जिसके सम्बन्ध में भी स्थिति स्पष्ट करें।”

इस प्रकार विशेष अनुसंधान शाखा/एसटीएफ जांच से प्रकाशित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उपरोक्तानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

3. उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुपालन में व्यापारी द्वारा बिन्दुवार दिये गये स्पष्टीकरण में से बिन्दु संख्या 1 से संबंधित स्पष्टीकरण जो कि सर्वश्री जयबालाजी ट्रेडर्स टिन 05007923567 से क्रय किये गये माल पर दावाकृत आईटीसी से संबंधित है, को कर निर्धारण अधिकारी द्वारा स्वीकार करते हुए उक्त व्यापारी से क्रय किये गये माल पर दावाकृत आईटीसी रु0 20,34,483.00 का लाभ व्यापारी को प्रदान किया गया है। प्रांतीय वाद से संबंधित शेष अन्य बिन्दुओं पर व्यापारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण को स्वीकार नहीं किया गया है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया है, कि व्यापारी द्वारा विद्युत खपत के सापेक्ष जो उत्पादन घोषित किया गया है, वह कम है, तथा व्यापारी द्वारा फ्लूड लगाकर आंकड़ों में हेर फेर करके लेखा-पुस्तकें अपनी सुविधानुसार रखी गयी हैं तथा सुनवाई के समय श्रमिक रजिस्टर, हीट रजिस्टर तथा गेटपास पंजिका प्रस्तुत नहीं की गयी है, जो स्पष्ट करता है कि व्यापारी द्वारा वास्तविक उत्पादन को छिपाने का प्रयास किया गया है। इस प्रकार कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यापारी द्वारा घोषित बिक्री तथा लेखा-पुस्तकों को अस्वीकार किये जाने के संबंध में विभिन्न न्यायिक निर्णयों (Ms. Shanmuga Oil Mills vs. Commissioner of Commercial Taxes Karnataka, (1993) 91 STC 100 (Karn), Ms. Chandu Lal & Sons v. Commissioner of Sales Tax, 1998 UPTC 535(All. H.C), Ms Nanak Ispat P Ltd vs Union of India (Jharkhand H.C)) का संदर्भ लिया गया है। उक्त तथ्यों की पृष्ठभूमि में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा Executive Director, All India Induction Furnace Association, New Delhi द्वारा प्रति मी0 टन इंगट उत्पादन हेतु 650 से 820 यूनिट की खपत होना माने जाने के आधार पर संगत वर्ष में व्यापारी द्वारा 800 यूनिट प्रति एम0टी0 खपत होना माना गया है, तदनुसार संगत वर्ष में उपभोग की गयी 7719000 विद्युत यूनिट के आधार पर संगत वर्ष में एम.एस.इंगट का कुल उत्पादन 9648.75 एम0टी0 होना निर्धारित किया गया है। संगत वर्ष हेतु प्रति मी0टन इंगट का औसत मूल्य रु0 29,000.00 से रु0 35,000.00 होने का उल्लेख करते हुए व्यापारी द्वारा विक्रित इंगट का प्रति मी0टन रु0 32,000.00 माना गया है। इस प्रकार संगत वर्ष हेतु व्यापारी द्वारा उत्पादित माल की बिक्री रु0 30,87,60,000.00 ( 9648.75 x 32000 रु0/टन) निर्धारित की गयी है, जिसमें से प्रांतीय बिक्री रु0 19,92,88,346.00 तथा केंद्रीय बिक्री रु0 10,94,71,654.00 होना निर्धारित किया गया है।

4. उपरोक्तानुसार पारित कर निर्धारण आदेश से क्षुब्ध होकर व्यापारी द्वारा प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर की गयी। वाद के तथ्यों के संदर्भ में प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा निम्न बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये जाने हेतु निम्न प्रकार नोटिस जारी किया गया—

1. संगत वर्ष 2013-14 हेतु रखे गये व्यापारिक अभिलेख आर०जी०-1 की कतिपय तिथियों में विद्युत इकाईयों के उपभोग किये जाने के उपरान्त भी शून्य उत्पादन घोषित किया गया है तथा इस संबंध में पूर्व में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा संबंधित तिथियों में इन तिथियों में विद्युत इकाई की खपत का विवरण देते हुए आपसे स्पष्टीकरण माँगा गया है। जिस संदर्भ में आप द्वारा दिनांक 12-7-2013, 13-7-2013, 14-7-2013, 16-08-2013, 28-05-2013, 13-10-2013, 02-11-2013, 03-11-2013, 17-11-2013, 23-12-2013 व 17-03-2014 को विद्युत उपभोग किये जाने के सापेक्ष शून्य उत्पादन स्वीकार किया गया है तथा कि उक्त तिथियों पर फ़ैक्ट्री में ब्रेकडाउन, रिपेयर मैनेटिनेंस का कार्य होने, विद्युत उपभोग बार-बार फर्नेश को लोड देने के लिए, शेन चलाने के लिए इत्यादि अनेक कार्य यो लिए बिजली का उपयोग हाना अवगत कराया गया है। इसके अतिरिक्त कमी-कमी बोल्टेज नहीं आने एवं फर्नेश, प्रोन, ट्यूवल व अन्य मशीनों का लौढ़ तेने के कारण उत्पादन कार्य नहीं हो पाने का उल्लेख किया गया है। किन्तु आप द्वारा अपने कथन के समर्थन में कोई साक्ष्य यथा मेन्टेनेंस की नव में संबंधित तिथि में व्यय का विवरण/बिल, क्रेन पर व्यय, संबंधित तिथि को कर्मचारियों की उपस्थिति के संबंधित कोई विवरण व साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, अतः इत्त बिन्दु पर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें।

02. माह मई-2013 व नवम्बर-2013 हेतु प्रतिदिन कच्चे माल के संबंध में आरम्भिक रहतिया, खरीद/इन्वार्ड सप्लाई, खपत व अंतिम रहतिया एवं निर्मित माल के संबंध में प्रतिदिन निर्मित माल का आरम्भिक रहतिया, निर्मित माल व विक्री व अंतिम रहतिया एवं विद्युत यूनिट की छपत का पृथक-पृथक तिथिदार विवरण प्रस्तुत करें।

03. माह मई 2013 में दि० 18.05.2013 से 28.05.2013 तक भिन्न-2 तिथियों में प्रति एम०टी० निर्मित माल के उत्पादन हुई विद्युत खपत अत्यन्त ही कम होना सम्भव नहीं है। उक्त अवधि में प्रति एम०टी० निर्मित माल के उत्पादन हुई विद्युत खपत न्यूनतम 2.88 यूनिट प्रति एम०टी० से लेकर अधिकतम 181.88 यूनिट प्रति एम०टी० होना पाया गया, जो कि किसी भी दृष्टिकोण स्वीकार्य योग्य नहीं है तथा इस बिन्दु पर आप द्वारा कर निर्धारण के समय भी स्पष्ट रूप से अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः उक्त बिन्दु पर अपना तथ्यात्मक स्पष्टीकरण एवं सत्तके समर्थन में साक्ष्य/प्रमाण प्रस्तुत करें।

4. वर्ष 2013-14 हेतु आडिटेड बैलेंस/प्रॉफिट एण्ड लॉट एकाउन्ट प्रस्तुत करें।

5. कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष आप द्वारा वर्ष 2013-14 से संबंधित गेटपास पंजिका, अनिक उपरिपुति रजिस्टर व हीट रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया है, अतः इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करें तथा उक्त अभिलेख इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें।

6. वर्ष 2012-13, 2013-14 व वर्ष 2015-16 से संबंधित नाहयार उत्पादन चार्ट विद्युत खपत का विवरण प्रस्तुत करते हुए स्पष्ट करें कि इन वित्तीय वर्षों में प्रति एम०टी० स्वनिर्मित माल के उत्पादन में हुई विद्युत खपत कितनी हुई है तथा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा घोषित विद्युत खपत प्रति एम०टी० को स्वीकार किया गया है अथवा नहीं ? अपने कथन के समर्थन में प्रमाण/साक्ष्य भी प्रस्तुत करें।”

इस प्रकार प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा उपरोक्तानुसार जारी नोटिस के अनुपालन में व्यापारी द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण, प्रस्तुत अभिलेखों एवं अपने पक्ष में उद्धृत किये गये विभिन्न न्यायिक निर्णयों (M/s Abhinav Steel Pvt. Ltd versus The Commissioner, Commercial Tax U.P. Lucknow Trade Tax (2017 UPTC 344) , M/s Pawan Alloys and Casting Pvt Ltd versus The Commissioner, Commercial Taxes(2018) 48 NTN (Vol. 68). 320 dated 29.10.2018,(All. HC), M/s Tehri Steels Ltd Versus The Commissioner, Commercial Taxes (2012) 48 NTN DX (Tri) 172 Dt. 03.11.2011 ) को प्रश्नगत मामले में प्रासंगिक मानते हुए व्यापारी द्वारा घोषित खरीद बिक्री तथा लेखा पुस्तकों को स्वीकार किया गया है।

5. प्रथम अपीलीय निर्णय दिनांक 17/01/2025 से क्षुब्ध होकर विभाग द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी है। विभाग द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि व्यापारी द्वारा संगत वर्ष में घोषित इंगट उत्पादन एवं उक्त की बिक्री विद्युत उपभोग के सापेक्ष अनुपातिक नहीं है। यह भी आधार लिया गया कि कर निर्धारण के समय व्यापारी द्वारा गेटपास रजिस्टर, हीट रजिस्टर तथा श्रमिक पंजी प्रस्तुत नहीं की गयी थी, अतः उक्त के आलोक में विद्युत ऊर्जा की खपत के सापेक्ष उत्पादन अनुपातिक न होने के कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारित अभिमत को प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा बिना किसी ठोस आधार के अस्वीकार किया गया है। कहा कि व्यापारी द्वारा आर0जी0-1 तथा फार्म 4 में विभिन्न तिथियों में श्वेत द्रव्य (Correction Fluid) का इस्तेमाल करते हुए उत्पादन को शून्य प्रदर्शित किया गया है, जबकि उक्त तिथियों में विद्युत खपत किये जाने संबंधी तथ्य प्रकाश में आये हैं, जिस पर प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पर विचार ही नहीं किया गया है। उक्त के अतिरिक्त विभिन्न तिथियों में पूर्व में अंकित निर्मित माल की मात्रा को श्वेत द्रव्य का प्रयोग कर शून्य किये जाने के बावजूद उक्त दिवस के अंतिम स्टॉक में उक्त दिन के ही आरम्भिक स्टॉक से ज्यादा माल होने, अलग-अलग तिथियों में उपभोग की गयी समान विद्युत ऊर्जा के विरुद्ध किसी तिथि को कोई उत्पादन घोषित न करने एवं अन्य तिथि में 20-27 टन का निर्माण दर्शाये जाने, अलग-अलग तिथियों में प्रति मी0टन इंगट के निर्माण में उपभोग की गयी विद्युत ऊर्जा की खपत में भारी भिन्नता होने, व्यापारी द्वारा अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष भी हीट रजिस्टर एवं गेटपास रजिस्टर प्रस्तुत न किये जाने जैसे तथ्यों के आधार पर यह तर्क रखा गया है कि व्यापारी द्वारा घोषित निर्माण बिक्री स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। यह भी तर्क रखा गया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर निर्धारण आदेश में जिन न्यायिक निर्णयों का संदर्भ लिया गया है, वह प्रश्नगत मामले में प्रासंगिक होने के कारण पूर्ण रूप से लागू होते हैं। उक्त के अतिरिक्त माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा PCIT-1 vs East Delhi Leasing Pvt Ltd के मामले में दिये गये निर्णय दिनांक 10.03.2025 को भी उद्धृत किया गया है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह मत प्रतिपादित किया गया है कि कर कानूनों से संबंधित मामलों में विश्वास करने का कारण (Reason to Believe) किसी कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार प्रदान करता है, अर्थात् कर संबंधी विधि में संदेह से परे साक्ष्य प्रमाणित किये जाने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार विभाग द्वारा संगत वर्ष में उपरोक्त आधारों पर प्रस्तुत द्वितीय अपील स्वीकार किये जाने की प्रार्थना करते हुए कर निर्धारण आदेश दिनांक 02/07/2019 को पुनर्स्थापित किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

6. सुनवाई हेतु नियत तिथि को विभाग की ओर से विद्वान राज्य प्रतिनिधि एवं डिप्टी कमिश्नर श्री भुवन चंद्र पाण्डे उपस्थित हुए तथा उनके द्वारा अपीलीय आधारों में उल्लिखित तथ्यों को दोहराते हुए संगत वर्ष हेतु पारित प्रांतीय कर निर्धारण आदेश को पुनर्स्थापित किये जाने की प्रार्थना की गयी। सुनवाई के समय विद्वान राज्य प्रतिनिधि द्वारा पुनः लिखित तर्क प्रस्तुत किये गये, जिसमें व्यापारी द्वारा घोषित उत्पादन एवं उपभोग की गयी विद्युत यूनिट में कोई साम्यता न होने का तर्क प्रस्तुत करते हुए भिन्न-भिन्न तिथियों को उद्धृत किया गया

है। उक्त के अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Ms. Melton India vs The Commissioner Trade Tax, UP ( निर्णय दिनांक 31/07/2007) तथा माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा Ms. Shree Gorkhnath Food Pvt Ltd vs The Commissioner, Commercial Taxes (निर्णय दिनांक 03/01/2023) के मामलों में दिये गये निर्णय भी अपने पक्ष में प्रस्तुत किये गये हैं। व्यापारी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री रूचिन सिंघल उपस्थित हुए तथा उनके द्वारा प्रथम अपीलीय निर्णय को विधि सम्मत होना बताते हुए उक्त की पुष्टि किये जाने की प्रार्थना की गयी।

7. वाद के तथ्यों के संदर्भ में प्रश्नगत वाद के निस्तारण हेतु विचारणीय बिन्दु निम्न प्रकार हैं—

“क्या वाद के तथ्यों एवं परिस्थितियों के परिपेक्ष्य में व्यापारी द्वारा घोषित खरीद बिक्री एवं लेखा-पुस्तकें स्वीकार की जा सकती हैं अथवा नहीं, एवं यदि घोषित खरीद-बिक्री एवं लेखा-पुस्तकें अस्वीकार की जा सकती हैं तो उस स्थिति में वाद के तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत न्याय एवं विवेक से कर योग्य आवर्त (Turnover) कितना निर्धारित किया जाना युक्तियुक्त होगा ?”

8. उपरोक्तानुसार अवधारित बिन्दुओं के क्रम में वाद के तथ्यों, कर निर्धारण आदेश, प्रथम अपीलीय निर्णय तथा द्वितीय अपील की सुनवाई के समय उभयपक्षों द्वारा अपने-अपने पक्ष में रखे गये तर्कों पर विचार किया गया। सर्वप्रथम यह विचारणीय है कि क्या व्यापारी द्वारा घोषित खरीद-बिक्री एवं लेखा-पुस्तकें स्वीकार की जा सकती हैं अथवा नहीं ? उक्त के संबंध में विभाग द्वारा द्वितीय अपील आधारों के क्रमांक 7, 8, 9, 10, 11 तथा 15 पर दिये गये तर्क अवलोकनीय हैं, जो निम्न प्रकार हैं—

“ 7. यह कि ब्यौहारी द्वारा आर.जी. 1 की कई प्रविष्टियों को श्वेत द्रव्य (Correction Fluid) के प्रयोग से परिवर्तित किया गया है, मुख्यतया इसका प्रयोग नवम्बर, दिसम्बर एवं फरवरी में औसत से अधिक किया गया है। ब्यौहारी द्वारा श्वेत द्रव्य का उपयोग निर्मित माल की मात्रा को छिपाने के लिया गया जाना परिलक्षित होता है। ब्यौहारी द्वारा दिनांक 17/11/2013 को आज. जी. 1 में निर्मित माल की मात्रा 22.91 टन को श्वेत द्रव्य के उपयोग से शून्य किया जाना परिलक्षित होता है। इस तथ्य की पुष्टि उक्त तिथि को ब्यौहारी द्वारा 1338.1 इकाई विद्युत ऊर्जा का उपभोग करने सम्बन्धी तथ्य से होती है, जैसा विद्युत विभाग द्वारा सूचित किया गया है। उक्त तथ्य के आलोक में कर निर्धारण अधिकारी ने व्यापारी द्वारा वर्ष भर उपभोग की गयी विद्युत ऊर्जा की मात्रा के सापेक्ष आनुपातिक रूप से ब्यौहारी द्वारा निर्मित/ बिक्रित माल के परिमाण का निर्धारण किया गया है। अपीलीय अधिकारी ने पारित आदेश में उक्त तथ्यों पर कोई विमर्श किये बिना ही कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश को अपास्त कर दिया गया है, जो त्रुटिपूर्ण है।

08 ) – यह कि ब्यौहारी के लेखा पुस्तकों में दिनांक 17.11.2013 को ब्यौहारी द्वारा शून्य उत्पादन घोषित किये जाने के बावजूद 132.75 टन के आरम्भिक स्टॉक के सापेक्ष निर्मित एवं आरम्भिक स्टॉक का कुल योग 155.745 टन प्रदर्शित किया गया है। उक्त तथ्य ब्यौहारी के लेखा – पुस्तकों की सत्यता को अन्यथा सिद्ध करता है। अपीलीय अधिकारी द्वारा उक्त तथ्यों को संज्ञान में लिये बिना ही कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश को अपास्त कर त्रुटिकारित की गयी है।

09 ) – यह कि संगत वर्ष में ब्यौहारी द्वारा इंगट निर्माण में उपभोग की गयी विद्युत ऊर्जा के सम्बन्ध में विद्युत विभाग से प्राप्त लोड सर्वे की रिपोर्ट से यह परिलक्षित होता है कि कतिपय तिथियों को उपभोग की गयी विद्युत ऊर्जा के सापेक्ष कोई उत्पादन घोषित नहीं किया गया है जबकि अन्य तिथियों को समान विद्युत इकाई के सापेक्ष 20-27 टन इंगट का निर्माण होना

घोषित किया गया है। कर निर्धारण आदेश में उक्त तथ्यों का समावेश करने के पश्चात ही कर-निर्धारण अधिकारी ने व्यौहारी द्वारा घोषित बिक्री को अस्वीकार किया गया है। परन्तु अपीलीय अधिकारी द्वारा उक्त तथ्यों पर सम्यक रूप से विचार किये बिना ही, पारित कर निर्धारण आदेश को अपास्त कर त्रुटि की गयी है।

10) – यह कि संगत वर्ष में व्यौहारी द्वारा उपभोग की गयी बिजली की मात्रा के सापेक्ष घोषित निर्मित माल की मात्रा में व्यापक भिन्नता प्रकाश में आयी है। उदाहरणार्थ व्यौहारी द्वारा दिनांक 28.05.2013 को 80.80 किलोवाट विद्युत ऊर्जा की खपत के सापेक्ष 28.1 टन माल का उत्पादन होना घोषित किया गया है, जबकि दिनांक 23.05.2013 को व्यौहारी द्वारा 1413.2 किलोवाट विद्युत ऊर्जा की खपत के सापेक्ष मात्र 7.77 टन माल का उत्पादन होना घोषित किया गया है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश में उक्त तथ्यों का समावेश करते हुये व्यौहारी की लेखा पुस्तकों में प्राप्त विसंगति के आलोक में व्यौहारी द्वारा घोषित आवर्त को अस्वीकार कर निर्धारण आदेश पारित किया गया है। अपीलीय अधिकारी ने कर-निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश में उल्लेखित तथ्यों को विचार में लिये बिना ही, कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश को अपास्त कर त्रुटिकारित की गयी है।

11) – यह कि व्यौहारी द्वारा संगत वर्ष में प्रतिटन निर्मित माल के उत्पादन में 2.88 किलोवाट से 181.88 किलोवाट विद्युत खपत होना घोषित किया गया है। उक्त विसंगति के सम्बन्ध में व्यौहारी से कर निर्धारण अधिकारी द्वारा की गयी पृच्छा का व्यौहारी के स्तर से कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने के परिणामस्वरूप, कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यौहारी द्वारा घोषित बिक्री के आंकड़े अस्वीकार किये गये हैं। अपीलीय अधिकारी ने उक्त तथ्यों पर विचार किये बिना ही कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश को अपास्त कर त्रुटि की गयी है।

15)– यह कि व्यौहारी द्वारा दिनांक 17/11/2013 को रनर राइजर का आरम्भिक स्टॉक 3.330 टन एवं आरम्भिक एवं निर्मित स्टॉक 3.605 टन अंकित किया गया है इस प्रकार उक्त तिथि को व्यौहारी द्वारा .275 टन रनर राइजर निर्माण किया है। जिसे श्वेत/द्रव्य (Correction Fluid) का प्रयोग कर शून्य किया गया है। इसी प्रकार उक्त तिथि को ही स्लैग का आरम्भिक स्टॉक 339.29 टन आरम्भिक एवं निर्मित स्टॉक 347.80 टन अंकित किया गया है, परिणाम स्वरूप 7.790 टन का निर्माण होना परिलक्षित होता है। जिसे व्यौहारी द्वारा श्वेत द्रव्य का प्रयोग कर शून्य/कोई उत्पादन नहीं अंकित किया गया है। अपीलीय अधिकारी द्वारा उक्त वर्णित तथ्यों पर विचार किये बिना ही पारित आदेश तार्किक एवं विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण एवं अपास्त किये जाने योग्य है। “

उपरोक्तानुसार जो विसंगतियां विभाग द्वारा इंगित की गयी हैं, का संतोष जनक समाधान व्यापारी द्वारा द्वितीय अपील में नहीं किया जा सका है। यह तथ्य इंगित करते हैं, कि व्यापारी द्वारा अपने व्यापार के सामान्य क्रम में लेखा-पुस्तके नहीं रखी गयी है, अपितु अपनी सुविधानुसार लेखा-पुस्तकों में निर्मित माल यथा इंगट, रनर राइजर/स्लैग का समायोजन किया गया है। वाद के तथ्यों से यह भी स्पष्ट होता है कि यह समायोजन करते समय व्यापारी द्वारा प्रतिदिन विद्युत खपत का ध्यान न रखते हुए मासिक विद्युत उपभोग के आधार पर किया गया है, क्योंकि प्रति टन एम0एस0 इंगट उत्पादन हेतु आवश्यक विद्युत यूनिट के परिपेक्ष्य में भिन्न-भिन्न तिथियों में व्यापारी द्वारा दर्शाये गये एम0एस0 इंगट का उत्पादन होना संभव ही नहीं है। इसके अतिरिक्त लेखा-पुस्तकों में दर्शाये गये उत्पादन में प्रयुक्त विद्युत यूनिट्स में भी कोई समरूपता नहीं है। इस संबंध में प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा व्यापारी को दिनांक 18/05/2013 से दिनांक 28/05/2013 को भिन्न-भिन्न तिथियों में विद्युत खपत 2.88 यूनिट प्रति मी0टन से लेकर अधिकतम 181.88 यूनिट प्रति मी0टन होना संभव न होने के दृष्टिगत नोटिस जारी किया गया है, जिसके अनुपालन में व्यापारी

द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण कि उन्हें पूरे माह से संबंधित बिजली का बिल आता है, अतः वह तिथिवार विवरण प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं, को स्वीकार किया जा सकता है अथवा नहीं, पर प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा कोई टिप्पणी नहीं की गयी है। उक्त के अतिरिक्त व्यापारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष गेटपास रजिस्टर, हीट रजिस्टर तथा श्रमिक पंजी प्रस्तुत नहीं की गयी थी। उक्त रजिस्टर में से गेटपास पंजिका तथा हीट रजिस्टर व्यापारी द्वारा प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष भी प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। व्यापारी द्वारा गेटपास पंजिका तथा हीट रजिस्टर जांच हेतु प्रस्तुत न किया जाना, व्यापारी के विरुद्ध प्रतिकूल तथ्य है अथवा नहीं, के संबंध में भी कोई टिप्पणी प्रथम अपीलीय निर्णय में नहीं की गयी है। जहां तक आर.जी.-1 और फार्म- 4 में विभिन्न तिथियों में श्वेत द्रव्य का प्रयोग करते हुए पूर्व में निहित प्रविष्टियों को परिवर्तित करने का प्रश्न है, के संबंध में भी कोई मत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा व्यक्त नहीं किया गया है। उक्त के अतिरिक्त संगत वर्ष में कई तिथियों में व्यापारी द्वारा रिपेयर एवं मैटनेंस के कारण कोई निर्माण कार्य न होना दर्शाया गया है, भी स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाया गया, क्योंकि उक्त तिथियों में विद्युत खपत उन दिनों के अनुरूप हैं, जिन दिनों में व्यापारी निर्माण कार्य, होना दर्शाया गया है। इस प्रकार उपरोक्तानुसार वर्णित विसंगतियों एवं विवेचना से यह स्पष्ट हो जाता है कि व्यापारी द्वारा अपने व्यापार के सामान्य क्रम में लेखा-पुस्तकें न रखकर अपनी सुविधानुसार उक्त में प्रविष्टियां की गयी हैं, तदनुसार व्यापारी द्वारा रखी गयी लेखा पुस्तकें एवं घोषित खरीद-बिक्री स्वीकार किये जाने योग्य नहीं हैं। इस प्रकार उक्त विसंगतियों के परिपेक्ष्य में हम विद्वान प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के स्तर से लेखा-पुस्तकों को मान्यता प्रदान किये जाने को उचित नहीं पाते हैं।

9. उपरोक्त प्रस्तर में की गयी विवेचनानुसार व्यापारी द्वारा घोषित खरीद-बिक्री एवं लेखा-पुस्तकें स्वीकार किये जाने योग्य नहीं हैं, अर्थात् संगत वर्ष हेतु कर निर्धारण न्याय एवं विवेक से ही किया जाना ही युक्तियुक्त होगा। वाद के संदर्भ में इस बिन्दु पर उभय पक्षों में कोई विवाद नहीं है कि व्यापारी द्वारा इंगट/रनर राइजर/स्लैग के निर्माण हेतु केवल विद्युत यूनिट्स का ही उपभोग किया गया है। अतः वाद के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए केवल विद्युत खपत के आधार पर ही न्याय एवं विवेक से इंगट का निर्माण एवं बिक्री निर्धारित की जा सकती है। अतः संगत वर्ष में व्यापारी द्वारा समस्त 77,19,000 विद्युत यूनिट्स का उपभोग निर्माण हेतु किया जाना माना जाता है।

10. कर निर्धारण अधिकारी द्वारा संगत वर्ष हेतु प्रति मी0टन इंगट के निर्माण हेतु हेतु Executive Director, All India Induction Furnace Association, New Delhi द्वारा निर्धारित 650 से 820 यूनिट का संज्ञान लेते हुए 800 यूनिट प्रति मी0टन माना गया है। उल्लेखनीय है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इसी व्यापारी के संबंध में उक्त प्रति मी0 टन विद्युत खपत को गत एवं अनुवर्ती वर्षों में कभी आधार नहीं बनाया गया है। उक्त के अतिरिक्त कर निर्धारण आदेश में ऐसा कोई तथ्य अंकित नहीं किया गया है, जिससे यह प्रमाणित होता हो, कि व्यापारी द्वारा आदर्श परिस्थितियों के अनुरूप ही इंगट का उत्पादन

किया गया है। कर निर्धारण अधिकारी इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे हैं, कि व्यापारी द्वारा प्रति मी0टन इंगट निर्माण हेतु 800 यूनिट का ही उपभोग किया जाता है, के संबंध में कोई विवेचना कर निर्धारण आदेश में नहीं की गयी है। इस संबंध में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अनुवर्ती वर्षों यथा वर्ष 2014-15 तथा वर्ष 2015-16 में प्रति मी0 टन निर्माण हेतु जिस विद्युत खपत को मान्यता प्रदान की गयी है, का संज्ञान लिया जाना उचित होगा, जो निम्न प्रकार है-

वर्ष	इंगट उत्पादन (मी0टन)	रनर राइजर उत्पादन (मी0टन )	बाई प्रोडक्ट स्लैग (मी0 टन )	इंगट, रनर राइजर, स्लैग का कुल उत्पादन (मी0 टन )	कुल विद्युत खपत (यूनिट)	प्रति मी0 टन विद्युत खपत (यूनिट)
2014-15	6151.245	81.090	827.531	7059.866	7467280	1057.708
2015-16	7279.680	92.925	574.744	7947.349	9411480	1184.229

उपरोक्तानुसार विद्युत खपत के सापेक्ष जो निर्माण व्यापारी द्वारा दर्शाया गया है, एवं जिसे कर निर्धारण अधिकारी द्वारा मान्यता प्रदान की गयी है, के परिपेक्ष्य में संगत वर्ष में व्यापारी द्वारा उत्पादित कुल 8398.63 मी0टन एम0एस0इंगट, रनर राइजर तथा स्लैग जो कि अलग-अलग क्रमशः 6690.540 मी0टन, 83.002 मी0टन तथा 1625.088 मी0 टन है, के सापेक्ष कुल 7719000 विद्युत यूनिट्स का उपभोग किया गया है। उक्तानुसार प्रति मी0टन निर्माण हेतु कुल 919.078 विद्युत यूनिट्स का उपयोग किया जाना प्रकाश में आता है। इस प्रकार विचाराधीन वर्ष जिसमें व्यापारी द्वारा घोषित खरीद-बिक्री को अस्वीकार किया गया है, की अपेक्षा अनुवर्ती वर्षों जिसमें व्यापारी द्वारा घोषित खरीद-बिक्री स्वीकार की गयी है, में प्रति मी0टन निर्माण हेतु कहीं अधिक विद्युत खपत को मान्यता प्रदान की गयी है। उक्त के दृष्टिगत इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए कि व्यापारी द्वारा उपरोक्त विवेचनानुसार लेखा-पुस्तकें स्वीकार किये जाने योग्य नहीं हैं, इंगट/रनर राइजर/स्लैग (बाई प्रॉडक्ट) प्रति मी0टन निर्माण हेतु 900 विद्युत यूनिट प्रयोग किया जाना माना जाना उचित होगा। इस प्रकार संगत वर्ष में प्रति मी0 टन इंगट/रनर राइजर/स्लैग के निर्माण हेतु 900 विद्युत यूनिट्स का उपभोग किया जाना मानते हुए आलोच्य वर्ष में 77,19,000 विद्युत यूनिट्स से 8578 यूनिट इंगट/रनर राइजर/स्लैग का निर्माण किया जाना माना जाता है। उक्त में से 8398.63 मी0टन इंगट/रनर राइजर/स्लैग ( 6690.540 मी0 टन इंगट, 83.002 मी0टन रनर राइजर तथा 1625.088 मी0टन स्लैग) का उत्पादन जो व्यापारी द्वारा दर्शाया गया है, को घटाने के पश्चात् कुल 179 मी0 टन अपवंचित इंगट का उत्पादन प्रकाश में आता है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा संगत वर्ष में समस्त उत्पादित माल को इंगट मान लेना भी उचित नहीं है, क्योंकि व्यापारी के गत वर्षों, संगत वर्ष एवं अनुवर्ती वर्षों के कर निर्धारण आदेशों में इंगट, रनर राइजर तथा स्लैग एवं उक्त की बिक्री को कर निर्धारण अधिकारी द्वारा मान्यता प्रदान की गयी है। इस प्रकार वाद के तथ्यों के परिपेक्ष्य में उपरोक्तानुसार उक्त समस्त अपवंचित उत्पादन की बिक्री, रु0 32,000.00 प्रति मी0 टन जो कर निर्धारण अधिकारी द्वारा

नियत की गयी है, के आधार पर ही न्याय विवेक से कुल अपवंचित विक्रय धन रु0 57,28,000.00 (179 मी0 टन x रु0 32000.00) निर्धारित किया जाता है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि संगत वर्ष में व्यापारी द्वारा घोषित कुल प्रांतीय बिक्री रु0 10,63,51,228.00 में से केवल रु0 13,98,631.00 की एम एस इंगट/रनर राइजर/स्लैग की बिक्री पूर्ण दर से की गयी है, शेष रु0 10,49,52,597.00 की प्रांतीय बिक्री फार्म 11 के विरुद्ध प्रांतीय पंजीकृत व्यापारियों को तथा रु0 10,94,71,654.00 की केंद्रीय बिक्री प्रांत बाहर के व्यापारियों को की गयी है, जिसे कर निर्धारण अधिकारी द्वारा मान्यता प्रदान की गयी है। अतः जब तक यह न प्रमाणित कर दिया जाए, कि व्यापारी द्वारा जिन प्रांतीय पंजीकृत व्यापारियों को फार्म 11 के विरुद्ध बिक्री घोषित की गयी है, से बिल में दर्शायी गयी विक्रय राशि के अतिरिक्त भी लेखों के बाहर कोई भुगतान प्राप्त किया गया है, तब तक उक्त बिक्री को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है, अर्थात् न्याय एवं विवेक से केवल अपवंचित उत्पादन पर ही प्रति मी0टन विक्रय दर निर्धारित की जा सकती है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा केंद्रीय बिक्री को मान्यता प्रदान की गयी है, इस आधार पर भी प्रांतीय वाद में व्यापारी द्वारा घोषित बिक्री को विक्रय दर के आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। वाद के संबंध में जो तर्क एवं न्यायिक निर्णय विद्वान राज्य प्रतिनिधि द्वारा विभाग के पक्ष में प्रस्तुत किये गये हैं, वह व्यापारी द्वारा घोषित खरीद बिक्री एवं लेखा-पुस्तकें अस्वीकार किये जाने के संबंध में प्रासंगिक हैं, परन्तु व्यापारी के ही संबंध में ही कर निर्धारण अधिकारी द्वारा गत एवं अनुवर्ती वर्षों ( वर्ष 2014-15 तथा वर्ष 2015-16 ) में किये गये कर निर्धारण जिनमें व्यापारी द्वारा घोषित खरीद बिक्री एवं लेखा-पुस्तकें स्वीकार की गयी हैं, को दृष्टिगत रखते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा संगत वर्ष हेतु किये गये कर निर्धारण को भी पूर्ण रूप से उचित नहीं ठहराया जा सकता है। इस प्रकार प्रांतीय वाद हेतु एम0एस0इंगट/रनर राइजर/स्लैग की न्याय विवेक से कुल एवं कर योग्य बिक्री अपवंचित बिक्री रु0 57,28,000.00 को जोड़ते हुए रु0 11,20,79,228.00 निर्धारित की जाती है।

11. उपरोक्त प्रस्तारों में की गयी विवेचना के अनुसार प्रांतीय वाद हेतु व्यापारी की टर्न ओवर न्याय एवं विवेक से निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है-

क्र0 सं0	वस्तु का नाम	कर योग्य धनराशि	कर की धनराशि	निर्धारित कर
1	स्वनिर्मित एम0एस0इंगट, रनर राइजर, की बिक्री प्रपत्र-11 से आच्छादित	रु0 10,49,52,597.00	02 प्रतिशत	रु0 20,99,052.00
2	स्वनिर्मित एम0एस0इंगट, रनर राइजर तथा स्लैग की बिक्री पूर्ण दर से	रु0 13,98,631.00	05 प्रतिशत	रु0 69,932.00
3.	एम0एस0इंगट की अपवंचित बिक्री	रु0 57,28,000.00	05 प्रतिशत	रु0 2,86,400.00
	<b>कुल</b>	<b>रु0 11,20,79,228.00</b>		<b>रु0 24,55,384.00</b>

इस प्रकार व्यापारी की कुल कर योग्य प्रांतीय बिक्री रु0 11,20,79,228.00 निर्धारित की जाती है, जिस पर उपरोक्तानुसार कुल रु0 24,55,384.00 कर निर्धारित किया जाता है। प्रथम अपीलीय निर्णय के अनुसार व्यापारी को रु0 20,34,483.00 का आईटीसी का लाभ अनुमन्य है तथा व्यापारी द्वारा रु0 10,40,537.00 चालान के माध्यम से जमा किये गये हैं तथा प्रथम अपील दाखिल करते समय रु0 5,00,000.00 जमा किये गये हैं। इस प्रकार कुल रु0 35,75,020.00 का लाभ व्यापारी को देय है। उक्तानुसार कुल जमा कर/देय आईटीसी रु0 35,75,020.00 के विरुद्ध देय कर रु0 24,55,384.00 का समायोजन करने के पश्चात् रु0 11,19,636.00 अधिक जमा बचते हैं, जिसे केंद्रीय वाद हेतु कैरी फारवर्ड किया जाता है।

12. उपरोक्त विवेचनानुसार विभाग द्वारा दायर द्वितीय अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

—:: आदेश ::—

विभाग द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील 23/2025 (वर्ष 2013-14, धारा 25(7) ) आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। संगत वर्ष हेतु कुल रु0 35,75,020.00 जो व्यापारी को जमा कर/आईटीसी के रूप में देय हैं के विरुद्ध निर्धारित कर रु0 24,55,384.00 का समायोजन करने के पश्चात् अधिक जमा रु0 11,19,636.00 का लाभ व्यापारी को केंद्रीय वाद में देय है। पत्रवाली दाखिल दफ्तर हो।

(विपिन चन्द्र)  
सदस्य,  
वाणिज्य कर अपील अधिकरण,  
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी पीठ।  
कैम्प-देहरादून।

( मलिक मजहर सुलतान )  
अध्यक्ष,  
वाणिज्य कर अपील अधिकरण,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

दिनांक:- सितम्बर, 2025

~ 14 ~



This document was created with the Win2PDF "Print to PDF" printer available at

<https://www.win2pdf.com>

This version of Win2PDF 10 is for evaluation and non-commercial use only.

Visit <https://www.win2pdf.com/trial/> for a 30 day trial license.

This page will not be added after purchasing Win2PDF.

<https://www.win2pdf.com/purchase/>